कार्यालय अंचल अधिकारी, पीरटाँड़।

आदेश फलक

अभिलेख सं0:–04/22–23

अभिलेख का प्रकारः– राजस्व विविध वाद

बाबुचंद साव एवं अन्य बनाम देवान साव एवं अन्य

27.09.2022 यह अभिलेख बाबूचंद साव, घनश्याम साव, जीबलाल साव एवं अन्य साकिन जमुआटांड़ थाना खुखरा के आवेदन पर खोला गया। ग्रामवासियों का कहना है कि मौजा जमुआटांड़, थाना न0 141 के खाता न0 19 प्लॉट न0 91, 92, 93 रकवा कमशः 0.04, 0.09 एवं 0.44 कुल रकवा 0.59 एकड़ भूमि, जिस पर समस्त ग्राम का काली मण्डा निर्मित है। जिसमें ग्रामवासी पूजा–पाठ करते आ रहे हैं। उक्त जमीन पर देवान साव पिता कमल साव वो फुलचन्द साव पिता फागु साव, बलदेव साव, कोका साव पिता स्व0 लक्ष्मण साव सभी मिलकर जमीन पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हो गये हैं एवं उनके द्वारा उक्त भूमि पर जबरन खलिहान बना दिया गया है एवं गलत तरीका से मालगुजारी रसीद निर्गत कराकर गांव वालों के साथ झगडा करने पर उतारू हो गये हैं।

इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विवादित भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग करें एवं अभिलेख दिनांक 18.10.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

18.10.2022 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से संबंधित जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक को जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने के स्मार दें। पुनः अभिलेख दिनांक 09.11.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

09.11.2022 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार मौजा जमुआटांड/141 थाना खुखरा के खाता न0 19, हाल सर्वे खतियान अनुसार रैयती खाते की भूमि है। वर्तमान समय में इस भूमि की जमाबंदी ऑनलाइन पंजी II के पृष्ठ सं0 149/1 पर थानू तेली, पोखन साव, किसुन तेली पिता नीलकंठ साव के नाम से कायम है, जिसका लगान रसिद 2021–22 तक निर्गत है। ऑनलाइन पंजी II में प्लॉट न0 91 रकवा 0.04 ए0, प्लॉट न0 92 में रकवा 0.09 ए0 एवं प्लॉट न0 93 में रकवा 0.44 ए0 कुल सम्मिलित रकवा 0.59 ए0 दर्ज है।

वर्तमान समय में कुल 0.59 ए0 के मधे एक काली मंडा बना हुआ है एवं शेष जमीन परती एवं खाली है। लेकिन इस भूमि पर दो पक्षों में विवाद है।

Scanned by CamScanner

प्रथम पक्षः– बाबुचंद साव एवं जमुआटांड़ के सभी ग्रामीण एक साथ हैं। प्रथम का कहना है कि इस भूमि के खतियानधारक नावल्द फौत करगये थे। बाद में यह भूमि अवैध रूप से रमजान मियां के दखल कब्जे में चली गयी। पूरे ग्रामीण मिलकर इस जमीन को रमजान मियां से मुक्त कराकर एक कालीमंडा का निर्माण किया और 1986 से वहाँ विधिवत् पूजा–अर्चना होने लगी। ग्रामीणों की मांग है कि थानु तेली वगैरह के नाम से कायम जमाबंदी को विलोपित करते हुए 0.59 ए0 भूमि की जमाबंदी काली मंडा जमुआटांड़ के नाम से कायम कर दिया जाय।

द्वितीय पक्षः– देवान साव पिता कमल साव वो फूलचंद साव पिता फागु साव वो बलदेव साव उर्फ कोंका साव पिता लक्ष्मण साव सभी साकिन जमुआटांड़ इस भूमि को अपना खतियानी जमीन बताकर इस पर दावा–दखल कर रहे हैं।

उभय पक्षकारों को विवादित भूमि पर अपने दावा–दखल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 22.11.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

22.11.2022 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी ग्रामवासियों का कहना है कि थानु तेली वो पोखन तेली पिता छकु तेली साकिन जमुआटांड के नाम से सर्वे खतियान खाता न0 19 प्लॉट न0 91 रकवा 0.07 ए0, 92 में 0.09 ए0 एवं 93 में रकवा 0.41 ए0 प्लॉट न0 179 में रकवा 0.02 ए0 कुल रकवा 0.59 ए0 भूमि दर्ज है।

ग्रामीणों द्वरा यह भी कहा गया कि थानु तेली वो पोखन तेली आज से करीब 70 वर्ष पूर्व में नावल्द फौत कर गये थे सर्वे खतियान रैयती का कोई वारिस नही रहने के कारण उक्त भूमि पर मौजा खरपोका एवं जमुआटांड मौजा के रमजान मियां के द्वारा 1975 तक जोत आबाद किया गया। जब सभी ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई तो भूतपूर्व मुखिया बिन्देश्वरी पाण्डे की अध्यक्षता में कए पंयातय किया गया जिसमें रमजान मियां के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाने के बाद इस भूमि को छोड दिया गया। तब सभी ग्रामवासियों द्वारा निर्णय कर एक काली मंडा बनाने की सहमति हुई उस समय द्वितीय पक्ष के पिता कमल साव वो लक्ष्मण साव भी साथ थे। उसके बाद सभी ग्रामीणों के मिलजुल प्रयास से काली मंडा बनाया गया जिस पर आज तक पूजा– पाठ किया जा रहा है। वादगत जमीन परती रहने के कारण बाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा धान मेसने एवं खलिहान करना शुरू कर दिया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा यह भी बताया गया कि अनुप तेली पेसरान भातु तेली का लडका नहीं था, मात्र एक लडकी थी, जो मौजा घाटाडीह गोन्दलीटांड में शादी हुआ था। अनुप तेली की लडकी भी मर चुकी है। लडकी के बेटा वगैरह अभी भी घाटाडीह में है। द्वितीय पक्ष के लोग अनुप तेली के जमीन पर वर्तमान समय में मकान बनाकर रह रहा है, जब कि द्वितीय पक्ष के लोग अनुप तेली के वारिस भी नहीं है। न तो मनी तेली वो अनुप तेली के सर्वे खतियान में कागजी संबंधी खतियान में कहीं दर्ज नहीं है।

Scanned by CamScanner

द्वितीय पक्ष के लोग उक्त भूमि को लेकर बार–बार विवाद करते रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि सभी दस्तावेज की जॉच करते हुए खाता न0 19 प्लॉट न0 91, 92, 93, 179 कुल रकवा 0.59 ए0 भूमि संविधान के अनुसार नावारिस जमीन राज्यपाल झारखण्ड एवं धर्म स्थान सार्वजनिक के नाम से पंजी II एवं ऑनलाइन में दर्ज करते हुए मालगुजारी कालीमण्डा के नाम से निर्गत करने की कृपा कर भूमि का पैमाइश करने की भी कृपा करें।

ग्रामीणों के बातों के समर्थन में पूर्व मुखिया बिन्देश्वरी पाण्डेय के द्वारा भी एक आवेदन दिया गया है, जिसमें मौजा जमुआटांड, थाना न0 141 खाता न0 19 कुल रकवा 0.59 ए0 भूमि, हाल सर्वे खतियान अनुसार थानु तेली वो पोखन तेली पेसरान छकु तेली से दर्ज पाया है। खतियानी रैयत आज से करीब 70 वर्ष पूर्व नावल्द फौत कर गया। रैयत फौत के बाद यह जमीन मौजा खरपोका के रमजान मियां साकिन जमुआटांड द्वारा जबरन जोत आबाद कर रहा था। इस जमीन को लकर हमारे अध्यक्षता में पंचायत भी हुआ। पंचायती में रमजान मियां कोई कागजात नहीं दिखा सका तब रमजान मियां इस जमीन को छोड दिया। तब से इस जमीन पर आज से 40 वर्ष पूर्व से पूजा करते चले आ रहे हैं। पुनः द्वितीय पक्ष को उपस्थित होने के लिए नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 06.12.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

06.12.2022 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थिंत। पुनः उभय पक्षकार को नोटिश निर्गत करें। पुनः अभिलेख दिनांक 20.12.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

20.12.2022 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख आदेश पर रखें।

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

03.01.2023 अभिलेख उपस्थापित। प्रथग पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्षकार अनुपस्थित। वाद में सन्निहित भूमि खाता न0 19 प्लॉट न0 91, 92, 93 रकवा कमशः 0.04, 0.09 एवं 0.44 कुल रकवा 0.59 एकड़ भूमि है। ग्रामवासियों के आवेदन अनुसार समस्त ग्राम का काली मण्डा निर्मित है। जिसमें ग्रामवासी पूजा–पाठ करते आ रहे हैं।

Scanned by CamScanner

उक्त जमीन पर देवान साव पिता कमल साव वो फुलचन्द साव पिता फागु साव, बलदेव साव, कोका साव पिता स्व0 लक्ष्मण साव सभी मिलकर जमीन पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हो गये हैं एवं उनके द्वारा उक्त भूमि पर जबरन खलिहान बना दिया गया है एवं गलत तरीका से मालगुजारी रसीद निर्गत कराकर गांव वालों के साथ झगडा करने पर उतारू हो गये हैं। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। मौजा जमुआटांड/141 थाना खुखरा के खाता न0 19, हाल सर्वे खतियान अनुसार रैयती खाते की भूमि है। वर्तमान समय में इस भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0 149/1 पर थानू तेली, पोखन साव, किसुन तेली पिता नीलकंठ साव के नाम से कायम है, जिसका लगान रसीद 2021–22 तक निर्गत है। ऑनलाइन पंजी II में प्लॉट न0 91 रकवा 0.04 ए0, प्लॉट न0 92 में रकवा 0.09 ए0 एवं प्लॉट न0 93 में रकवा 0.44 ए0 कुल सम्मिलित रकवा 0.59 ए0 दर्ज है।

वर्तमान समय में कुल 0.59 ए0 के मधे एक काली मंडा बना हुआ है एवं शेष जमीन परती एवं खाली है। लेकिन इस भूमि पर दो पक्षों में विवाद बना हुआ है।

उभय पक्षकारों को नोटिश देकर वादगत भूमि पर अपने दावा से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई है। बार–बार नोटिश देने के उपरांत भी द्वितीय पक्षकार उपस्थित नहीं हुए एवं उनके द्वारा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रथम पक्षः– बाबुचंद साव एवं जमुआटांड़ के सभी ग्रामीण का कहना है कि इस भूमि के खतियानधारक नावल्द फौत करगये थे। बाद में यह भूमि अवैध रूप से रमजान मियां के दखल कब्जे में चली गयी। पूरे ग्रामीण मिलकर इस जमीन को रमजान मियां से मुक्त कराकर एक कालीमंडा का निर्माण किया और 1986 से वहॉ विधिवत् पूजा–अर्चना होने लगी। ग्रामीणों की मांग है कि थानु तेली वगैरह के नाम से कायम जमाबंदी को विलोपित करते हुए 0.59 ए0 भूमि की जमाबंदी काली मंडा जमुआटांड़ के नाम से कायम कर दिया जाय। सभी ग्रामवासियों का कहना है कि थानु तेली वो पोखन तेली पिता छफु तेली साकिन जमुआटांड के नाम से सर्वे खतियान खाता न0 19 प्लॉट न0 91 रकवा 0.07 ए0, 92 में 0.09 ए0 एवं 93 में रकवा 0.41 ए0 प्लॉट न0 179 में रकवा 0.02 ए0 कुल रकवा 0.59 ए0 भूमि दर्ज है।

यह कि थानु तेली वो पोखन तेली आज से करीब 70 वर्ष पूर्व में नावल्द फौत कर गये थे इसकी पुष्टि के लिए ग्रामीणों द्वारा वार्ड सदस्य हस्ताक्षर युक्त एक वंशावली प्रस्तुत किया गया है। सर्वे खतियान रैयती का कोई वारिस नही रहने के कारण उक्त भूमि पर मौजा खरपोका एवं जमुआटांड मौजा के रमजान मियां के द्वारा 1975 तक जोत आबाद किया गया। जब सभी ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई तो एक पंचायत किया गया जिसमें भूतपूर्व मुखिया बिन्देश्वरी पाण्डे की अध्यक्षता में रमजान मियां के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाने के बाद इस भूमि को छोड दिया गया।

Scanned by CamScanner

तब सभी ग्रामवासियों द्वारा निर्णय कर एक काली मंडा बनाने की सहमति हुई उस समय द्वितीय पक्ष के पिता कमल साव वो लक्ष्मण साव भी साथ थे। उसके बाद सभी ग्रामीणों के मिलजुल प्रयास से काली मंडा बनाया गया जिस पर आज तक पूजा– पाठ किया जा रहा है। शेष जमीन परती रहने के कारण बाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा धान मेसने एवं खलिहान करना शुरू कर दिया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा यह भी बताया गया कि अनुप तेली पेसरान भातु तेली का लडका नहीं था, मात्र एक लडकी थी, जो मौजा घाटाडीह गोन्दलीटांड में शादी हुआ था। अनुप तेली की लडकी भी मर चुकी है। लडकी के बेटा वगैरह अभी भी घाटाडीह में है। द्वितीय पक्ष के लोग अनुप तेली के जमीन पर वर्तमान समय में मकान बनाकर रह रहा है, जब कि द्वितीय पक्ष के लोग अनुप तेली के वारिस भी नहीं है। न तो मनी तेली वो अनुप तेली के सर्वे खतियान में कागजी संबंधी खतियान में कहीं दर्ज नहीं है।

द्वितीय पक्ष के लोग उक्त भूमि को लेकर बार–बार विवाद करते रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि सभी दस्तावेज की जॉच करते हुए खाता न0 19 प्लॉट न0 91, 92, 93, 179 कुल रकवा 0.59 ए0 भूमि संविधान के अनुसार नावारिस जमीन राज्यपाल झारखण्ड एवं धर्म स्थान सार्वजनिक के नाम से पंजी II एवं ऑनलाइन में दर्ज करते हुए मालगुजारी कालीमण्डा के नाम से निर्गत करने की कृपा कर भूमि का पैमाइश करने की भी कृपा करें।

द्वितीय पक्षः– देवान साव पिता कमल साव वो फूलचंद साव पिता फागु साव वो बलदेव साव उर्फ कोंका साव पिता लक्ष्मण साव सभी साकिन जमुआटांड़ इस भूमि को अपना खतियानी जमीन बताकर इस पर दावा–दखल कर रहे हैं।

ग्रामीणों के समर्थन में पूर्व मुखिया बिन्देश्वरी पाण्डेय के द्वारा भी एक आवेदन दिया गया है, जिसमें मौजा जमुआटांड, थाना न0 141 खाता न0 19 कुल रकवा 0.59 ए0 भूमि, हाल सर्वे खतियान अनुसार थानु तेली वो पोखन तेली पेसरान छकु तेली से दर्ज पाया है। खतियानी रैयत आज से करीब 70 वर्ष पूर्व नावल्द फौत कर गया। रैयत फौत के बाद यह जमीन मौजा खरपोका के रमजान मियां साकिन जमुआटांड द्वारा जबरन जोत आबाद कर रहा था। इस जमीन को लकर हमारे अध्यक्षता में पंचायत भी हुआ। पंचायती में रमजान मियां कोई कागजात नहीं दिखा सका तब रमजान मियां इस जमीन को छोड दिया। तब से इस जमीन पर आज से 40 वर्ष पूर्व से पूजा करते चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्षकार को बार–बार नोटिश देने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा कोइ दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इससे पता चलता है कि उन्हें इस संबंध में अपना कोइ पक्ष नहीं रखना है। चूंकि वाद में सन्निहित भूमि पर जमुआटांड ग्रामवासियों का कालीमंडा निर्मित है। ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत खतियान की प्रति में भी रैयत का नाम केवल थानु तेली वो पोखन तेली पेसरान छकु तेली कौम तेली दर्ज है। ऑनलाइन पंजी II में थानु तेली पोखन साव किसुन साव पिता नीलकंठ साव का नाम दर्ज है। ऑनलाइन पंजी II में किसुन तेली पिता नीलकंठ साव का नाम किस प्रकार दर्ज किया गया, इस संबंध में द्वितीय पक्षकार के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा।

Scanned by CamScanner

हल्का कार्यालय में संधारित पंजी II में भी थानु तेली, पोखन तेली के नाम के अलावा वारिसान कटी साहु पिता नीलकंठ साहु इत्यादि दर्ज किया गया है, जो स्पष्ट रूप से बाद में दर्ज किया एवं लिप्तलेखन किया गया है। वंशावली के आधार पर द्वितीय पक्षकार थानु तेली वो पोखन तेली पेसरान छकु तेली की भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं यह भी नहीं बताया गया। इससे वर्तमान में चल रही जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होती है। सार्वजनिक कालीमंडा की भूमि पर संदेहास्पद जमाबंदी के आधार पर दावा किये जाने से ग्राम में अनावश्यक विवाद एवं अशांति का माहौल बन रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारण के पश्चात् मौजा जमुआटांड़ के खाता न0 19, प्लॉट न0 91, 92, 93 रकवा कमशः 0.04, 0.09, 0.44 कुल रकवा 0.59 ए0, जिसकी जमाबंदी वर्तमान भाग 1 पृष्ठ सं0 149 में कायम है, जिसे स्थगित किया जाता है। राजस्व उप निरीक्षक हल्का न0 V इस आदेश का अनुपालन करें। आदेश की प्रति उभय पक्षकारों को उपलब्ध करायें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

अंचल अधिकारी,
पीरटांड़।

Digitally signed by BINAY PRAKASH TIGGA
Date: 2023.02.14 11:37:49 +05:30
Location: 192.168.66.61

Scanned by CamScanner